आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
12.10.2017	न्यायालय जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ	

न्यायालय जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ

सेवा अपील वाद संख्या-12/2017

वीणा देवी, पति-रामदेव राम , सा0-रूनकी, थाना-बैसा, जिला-पूर्णिया ।

.... अपीलार्थी

1. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बैसा
2. मालती देवी, पति-हीरा पासवान, सा0-रूनकी, थाना-बैसा, जिला-पूर्णिया ।

.... विपक्षी

आ दे श

प्रस्तुत अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के ज्ञापांक-1078/जि0प्रो0, दिनांक-15.07.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है। यह मामला **ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या-178, रूनकी पासवानटोला, पंचायत-मंझौक, परियोजना-बैसा** के सहायिका पद से संबंधित है। आज की सुनवाई में अपीलार्थी एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई तथा अपना पक्ष रखा गया।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित अपील आवेदन का अवलोकन किया एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र में सहायिका पद के लिए अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिया गया था। दिनांक 11.01.2012 को तैयार मेधा सूची में विपक्षी मालती देवी की शैक्षणिक योग्यता सप्तम् उत्तीर्ण एवं जन्म तिथि-04.04.1984 है तथा अपीलार्थी की योग्यता सप्तम उत्तीर्ण एवं जन्म तिथि 05.01.1986 अंकित है। दिनांक 03.05.2012 को आयोजित आम सभा में अपीलार्थी एवं विपक्षी को अयोग्य घोषित किया गया तथा उस पद पर किन्हीं का चयन नहीं हुआ। पुनः वर्ष 2013 में सहायिका पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन के ओलोक में तैयार मेधा सूची में विपक्षी की योग्यता नवम् उत्तीर्ण एवं जन्म तिथि 04.08.1990 अंकित है। विपक्षी की शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र जाली होने के बाद भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बैसा द्वारा उनका चयन कर लिया गया। जिला प्रोग्राम

पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा भी अपीलार्थी के द्वारा लगाए गए आरोप का अवलोकन किए वगैर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के मन्तव्य का समर्थन कर दिया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है। अतएव न्यायालय से अनुरोध है कि अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए विपक्षी सं0-02 के चयन को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षी सं0-02 के द्वारा समर्पित प्रतिउत्तर का अवलोकन किया तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि यह अपील वाद कानून की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा अभिलेख एवं साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात् आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत है। अपीलार्थी द्वारा स्वयं वर्ष 2012 में सप्तम एवं वर्ष 2013 में अष्टम वर्ग के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न की गई थी और दोनो प्रमाण-पत्र अलग-अलग विद्यालय द्वारा निर्गत है तथा प्रवेश तिथि एवं विद्यालय परित्याग तिथि में भी भिन्नता है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नवम् उत्तीर्ण के प्रमाण-पत्र की जांच जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के निदेशानुसार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बैसा द्वारा की गई है, जिसमें विपक्षी के शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र सही पाया गया है। मेधासूची में विपक्षी का स्थान प्रथम पाए जाने पर इनका चयन किया गया है, जो नियमानुकूल है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाय।

इस वाद में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक 840/जि0प्रो0 दिनांक 04.07.2017 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी सं0-02 के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र की जांच कराई जा चुकी है। जांचोपरान्त उनका प्रमाण-पत्र सही पाया गया है। साथ ही विपक्षी सं0-02 मेधा सूची में प्रथम स्थान पर हैं।

अपीलार्थी एवं विपक्षी सं0-02 को सुनने तथा उनके द्वारा समर्पित कागजातों, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पूर्णियाँ से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन तथा अभिलेख के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी का मुख्य शिकायत विपक्षी सं0-02 के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र से संबंधित है। शैक्षणिक प्रमाण-पत्र की जांच हो चुकी है तथा शैक्षणिक प्रमाण-पत्र सही पाए जाने का प्रतिवेदन प्राप्त है। ऐसी स्थिति में निम्न

न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया एवं बाल विकास पदाधिकारी, बैसा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।